**संख्या-34/821/तीस-3-14-31बी/2013**

प्रेषक,

नर्वेद सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2-अध्यक्ष,
राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश,
01 कैसरबाग, एवेन्यू (अवध जिमखाना क्लब के पीछे), लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 07 अप्रैल, 2014

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम 04 माह (अप्रैल से जुलाई, 2014) के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम 04 माह (अप्रैल से जुलाई, 2014) के लिए स्वीकृत लेखानुदान में आय व्ययक की अनुदान संख्या-43 में **लेखाशीर्ष-2041**-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 7315 हजार, **लेखाशीर्ष-2059-**लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 5000 हजार, **लेखाशीर्ष-2235**-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 2001 हजार एवं **लेखाशीर्ष-3055**-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1346953 हजार तथा साथ ही **मद संख्या-190**-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-03-राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान-42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 2900 हजार, इस प्रकार कुल प्रावधानित धनराशि रू0 1364169 हजार के सापेक्ष वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 14-03-2014 में निहित निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम 04 माह (अप्रैल से जुलाई, 2014) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के 4/12वें भाग को आवंटित करते हुए, जिसका लेखाशीर्षकवार विवरण निम्नवत है, कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, कुल धनराशि **रू0 453993 हजार** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

| लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम | स्वीकृत प्राविधान | स्वीकृति की धनराशि (4/12वॉ भाग) | अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक-2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट | | | |



http://srisangadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान | | | |
| 01-वेतन | 3000 | 1000 | 2000 |
| 02-मजदूरी | 25 | 08 | 17 |
| 03-मंहगाई भत्ता | 3150 | 1000 | 2150 |
| 04-यात्रा व्यय | 30 | 10 | 20 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 100 | 33 | 67 |
| 06-अन्य भत्ते | 360 | 120 | 240 |
| 07-मानदेय | 05 | 00 | 05 |
| 08-कार्यालय व्यय | 65 | 21 | 44 |
| 09-विद्युत देय | 50 | 16 | 34 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 25 | 08 | 17 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 125 | 41 | 84 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 40 | 13 | 27 |
| 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | 175 | 58 | 117 |
| 42-अन्य व्यय | 00 | 00 | 00 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 10 | 03 | 07 |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय | 30 | 10 | 20 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 50 | 16 | 34 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 30 | 10 | 20 |
| 49-चिकित्सा व्यय | 40 | 13 | 27 |
| 51-वर्दी व्यय | 05 | 00 | 05 |
| **योग :** | **7315** | **2380** | **4935** |

(धनराशि हजार रूपये में)

| लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम | स्वीकृत प्राविधान | स्वीकृति की धनराशि (4/12वॉ भाग) | अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन -051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण | 5000 | 1600 | 3400 |
| **योग :** | **5000** | **1600** | **3400** |

(धनराशि हजार रूपये में)

| लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम | स्वीकृत प्राविधान | स्वीकृति की धनराशि (4/12वॉ भाग) | अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200- | | | |

http://shasanadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| अन्य कार्यक्रम-03-मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों तथा/अथवा उनके परिवारों को अनुग्रह भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) | 01 | -- | 01 |
| 04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) | 2000 | 650 | 1350 |
| **योग :** | **2001** | **650** | **1351** |

(धनराशि हजार रूपये में)

| लेखाशीर्षक/मानक मद संख्या तथा नाम | स्वीकृत प्राविधान | स्वीकृति की धनराशि (4/12वॉ भाग) | अवशेष धनराशि |
|---|---|---|---|
| लेखाशीर्षक-3055-सड़क परिवहन-001-निदेश तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय | | | |
| 01-वेतन | 460000 | 153300 | 306700 |
| 02-मजदूरी | 400 | 133 | 267 |
| 03-मंहगाई भत्ता | 483000 | 161000 | 322000 |
| 04-यात्रा व्यय | 1000 | 333 | 667 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 500 | 166 | 334 |
| 06-अन्य भत्ते | 46000 | 15333 | 30667 |
| 07-मानदेय | 50 | -- | 50 |
| 08-कार्यालय व्यय | 25000 | 8000 | 17000 |
| 09-विद्युत देय | 10000 | 3300 | 6700 |
| 10-जलकर/जल प्रभार | 3500 | 1166 | 2334 |
| 11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 32000 | 10666 | 21334 |
| 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 4000 | 1333 | 2667 |
| 13-टेलीफोन पर व्यय | 2000 | 666 | 1334 |
| 14-मोटरगाड़ियों का क्रय | 6000 | 2000 | 4000 |
| 15-मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद | 26000 | 8666 | 17334 |
| 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 18000 | 6000 | 12000 |
| 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व | 9483 | 3000 | 6483 |
| 18-प्रकाशन | 150 | 50 | 100 |
| 23-गुप्त सेवा व्यय | 20 | 06 | 14 |
| 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण संयत्र | 00 | 00 | 00 |
| 29-अनुरक्षण | 1000 | 333 | 667 |
| 42-अन्य व्यय | 50 | 16 | 34 |

http://bhasanadesh.up.nic.in

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 500 | 166 | 334 |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय | 100 | 33 | 67 |
| 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 174700 | 58233 | 116467 |
| 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 35000 | 11666 | 23334 |
| 49-चिकित्सा व्यय | 8000 | 2666 | 5334 |
| 51-वर्दी व्यय | 500 | 166 | 334 |
| **योग : 3055-03** | **1346953** | **448397** | **898556** |
| **190-**सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों की सहायता-03-राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की नि:शुल्क यात्रा की सुविधा के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान-<br>42-अन्य व्यय | 2900 | 966 | 1934 |
| **योग : 190** | **2900** | **966** | **1934** |
| **योग : 3055** | **1349853** | **449363** | **900490** |

उपरोक्तानुसार **लेखाशीर्ष-2041** के अन्तर्गत अध्यक्ष राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण को रू0 2380 हजार, **लेखाशीर्ष-2059** के अन्तर्गत परिवहन आयुक्त संगठन को धनराशि रू0-1600 हजार, **लेखाशीर्ष-2235** के अन्तर्गत रू0-650 हजार, **लेखाशीर्ष-3055** के अन्तर्गत रू0-448397 हजार तथा **मद संख्या-190** के अन्तर्गत रू0-966 हजार अर्थात **कुल धनराशि रू0-453993 हजार** की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम 04 माह (अप्रैल से जुलाई, 2014) की आवश्यकता के लिये दी जा रही है।

2- आवंटित धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनॉक 28-03-2013 व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनॉक 14-03-2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न है) साथ ही क्रय संबंधी मामलों में उद्योग विभाग के शासनादेश संख्या-2573एस0पी0/18-07-76(एस0पी0)/86, दिनॉक 08-01-1992, पत्र संख्या-2177/18-07-94-15(एस0पी0)-92 दिनॉक 17-10-94, पत्र संख्या-2275/18-05-98-15(एस0पी0)-92टी0सी0, दिनॉक 07-12-98, पत्र संख्या-708/18-05-98-15(एस0पी0)-92, दिनॉक 08-01-94, पत्र संख्या-2917/18-05-2000-49(एस0पी0)-2000, दिनॉक 20-12-2000 तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर उनके द्वारा जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं जहॉ टेण्डर आदि की आवश्यकता हो वहॉ उसका नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि टुकड़ों में व्यय किये जाने से बचा जाय।

**3- लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रख-रखाव-29-अनुरक्षण के अन्तर्गत निर्गत की जा रही धनराशि इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि इस धनराशि का व्यय सम्बन्धित मरम्मत/अनुरक्षण कार्यों की शासन से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा।**

**4- इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और**

http://bhasandesh.up.nic.in

**फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।**

5- व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-34/821(1)/तीस-3-2014, तद्दिनॉक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0
(नर्वेद सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in